न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –141/2021

दायर दिनांक –24.12.2021

निर्णय दिनांक –30.09.2022

जीसीएमएस नं0 –2021/256

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री नोरत पुत्र श्री हरदेव जाति रावत निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति– 1. श्री एस0के0 चौधरी, प्रार्थी, अधिवक्ता
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

<u>–: निर्णय :–</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 169 में खसरा नं. 3227/702 का रकबा 0.2325 हैक्ट. के स्थान पर रकबा 0.2775 हैक्ट. व खाता सं. 1072 में खसरा नं. 3226/702 रकबा 0.1075 हैक्ट. के स्थान पर रकबा 0.0675 हैक्ट. की राजस्व मानचित्र व मौके की स्थिति अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2022/1053 दिनांक 18.04.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "राजस्व मानचित्र अनुसार खसरा नं. 3226/702 का रकबा 0.1075 हैक्ट. ही है अतः इसका रकबा परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। खसरा नं. 3227/702 रकबा 0.2375

30.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested

के बजाय 0.2725 किया जाना उचित नहीं है चूंकि यदि रकबा बढाया जाता है तो सम्पूर्ण ग्राम का रकबा परिवर्तित होता है अतः दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के राजस्व मानचित्र अनुसार खसरा नं. 3226/702 का रकबा 0.1075 हैक्ट. ही है अतः इसका रकबा परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। खसरा नं. 3227/702 रकबा 0.2375 के बजाय 0.2725 किया जाना उचित नहीं है चूंकि यदि रकबा बढाया जाता है तो सम्पूर्ण ग्राम का रकबा परिवर्तित होता है अतः दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के राजस्व मानचित्र अनुसार खसरा नं. 3226/702 का रकबा 0.1075 हैक्ट. ही है अतः इसका रकबा परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। खसरा नं. 3227/702 रकबा 0.2375 के बजाय 0.2725 किया जाना उचित नहीं है चूंकि यदि रकबा बढाया जाता है तो सम्पूर्ण ग्राम का रकबा परिवर्तित होता है अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

30.9.22

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested